राजस्थान – सरकार

आबकारी विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2007–2008

<u>राजस्थान सरकार</u>

आबकारी विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन – वर्ष 2007– 2008

1. <u>प्रस्तावना :–</u>

1.1 मादक पदार्थो के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, एवं विक्रय की प्रकिया पर राज्य द्वारा नियन्त्रण किया जाता है। आबकारी विभाग का मुख्य उद्धेश्य घातक एवं मादक पदार्थो के अवैध उत्पादन एवं व्यवसाय पर कठोर नियन्त्रण रखते हुए उपभोक्ता को गुणवत्ता युक्त मानव उपयोगी मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के साथ– साथ समुचित राजस्व अर्जित करना है। राज्य की राजस्व आय में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में राज्य की सम्पूर्ण कर–राजस्व प्राप्तियों में आबकारी विभाग का योगदान लगभग 16 प्रतिशत होकर यह द्वितीय स्थान पर है।

1.2 आबकारी विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत बन्दोबस्त सम्पादित करवा कर राज्य की आबकारी एवं मद्य संयम नीति का कियान्वयन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है :–

1.2.1 मदिरा व्यवसाय की लाभ देयता एवं राज्य की राजस्व आय को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहारिक नीति का निर्धारण ।

1.2.2 अवैध एवं घातक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण।

1.2.3 मद्यसंयम (टेम्परेंस) की नीति प्रभावी रुप से लागू करना ।

2. <u>विभाग की प्रशासनिक संरचना :–</u>

2.1 राजस्थान में आबकारी विभाग का मुख्यालय उदयपुर में अवस्थित है एवं आबकारी आयुक्त इसके विभागाध्यक्ष है । आयुक्त को प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने हेतु आबकारी मुख्यालय पर अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), वित्तीय सलाहकार, वरिष्ठ लेखाधिकारी, संयुक्त विधि परामर्शी, अतिरिक्त आयुक्त आबकारी निरोधक दल, सहायक विधि परामर्शी, उपायुक्त आबकारी, उपायुक्त निरोधक दल एवं अन्य अधिकारी पदस्थापित हैं।

2.2 विभागीय कार्यकलापों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी प्रशासन एवं निरोधक दल के आंतरिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण छः अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी (जोन) के अधीन निम्नांकित आबकारी/राजस्व जिलें सम्मिलित कर गठित किया हुआ है :–

अजमेर जोन :– अजमेर, भीलवाडा, नागौर एवं टोंक

जयपुर जोन :– अलवर, भरतपुर, धौलपुर,, दौसा, जयपुर शहर ,जयपुर ग्रामीण, झुन्झुनू एवं सीकर

जोधपुर जोन :– जोधपुर, बाडमेर ,जैसलमेर,, जालोर,, पाली एवं सिरोही

कोटा जोन :– बांरा, सवाईमाधोपुर ,करौली, बून्दी, झालावाड एवं कोटा

बीकानेर जोन :– बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़

उदयपुर जोन :– चित्तोडगढ, बॉसवाडा,डूंगरपुर ,राजसमन्द तथा उदयपुर

2.3 विभाग में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद
1	आबकारी आयुक्त, आई.ए.एस.	18400-500-22400	01
	आबकारी शाखा राज्य सेवा		
1	अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन) आर.ए.एस.	14300-400-18300	01
2	वित्तीय सलाहकार	14300-400-18300	01
3	संयुक्त विधि परामर्शी	13500-400-17500	01
4	अति.आयुक्त, आबकारी जोन आर.ए.एस.	12000-375-16500	06
5	उपायुक्त आबकारी	10000-325-15200	01
6	वरिष्ठ लेखाधिकारी	10000-325-15200	1
7	जिला आबकारी अधिकारी आर.ए.एस. वरिष्ठ वेतनमान कनिष्ठ वेतनमान	 10000-325-15200 10000-325-15200 9000-300-14400	 08 02 26
8	सहायक विधि परामर्शी	9000-300-14400	1
9	रसायनिक परीक्षक	9000-300-14400	1
10	सहायक रसायनिक परीक्षक	8000-275-13500	2
11	सहायक आबकारी अधिकारी	6500-200-10500	48
12	सहायक लेखाधिकारी	6500-200-10500	06
अधिनस्थ सेवा			
1	आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी	5500-175-9000	48
2	आबकारी निरीक्षक,द्वितीय श्रेणी	5000-150-8000	84
3	रसायनज्ञ	5500-175-9000	4
4	रसायनिक सहायक	5000-150-8000	4
5	मुख्य विधि सहायक	6500-200-10500	2
6	लेखाकार	5500-175-9000	3
7	कनिष्ठ लेखाकार	5000-150-8000	57
8	सांख्यिकीय सहायक	5000-150-8000	1
9	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5000-150-8000	1

10	डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर	4000-100-6000	1
11	प्रयोगशाला सहायक	4000-100-6000	2
12	इलेक्ट्रीशियन	3050-75-4590	1
मंत्रालयिक सेवा			
1.	निजी सचिव	9000-300-14400	01
2.	निजी सहायक	5500-175-9000	03
3.	आशुलिपिक	5000-150-8000	13
4.	कार्यालय अधीक्षक	5500-175-9000	01
5.	कार्यालय सहायक	5000-150-8000	43
6.	वरिष्ठ लिपिक	4000-100-6000	147
7.	कनिष्ठ लिपिक	3050-75-4590	306
8.	वाहन चालक (आबकारी शाखा)	3050-75-4590	29
चतुर्थ श्रेणी सेवा			
1.	आबकारी गार्ड जमादार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2650-65-4000 2610-60-3540 2550-55-3200	484
2.	प्रयोगशाला परिचायक	2610-60-3540	3

आबकारी निरोधक दल शाखा

राज्य सेवा

1	अतिरिक्त आयुक्त आबकारी नि. दल	12000-375-16500	01
2	उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल	10000-325-15200	01
2	आबकारी अधिकारी, निरोधक दल	9000-300-14400	04
3	सहायक आबकारी अधिकारी, निरोधक दल	6500-200-10500	07
अधीनस्थ सेवा			
1	प्रहराधिकारी प्रथम श्रेणी आबकारी निरोधक दल	5000-150-8000	53
2	प्रहराधिकारी, द्वितीय श्रेणी, आबकारी निरोधक दल	3400-90-5200	22
3	जमादार, प्रथम श्रेणी, आबकारी निरोधक दल	3200-85-4900	16
4	जमादार, द्वितीय श्रेणी आबकारी, निरोधक दल	3050-75-4590	78
5	आर्मर	3050-75-4590	1
6	वाहन चालक (निरोधक दल)	3050-75-4590	34
7	सिपाही	2750-70-4400	658
चतुर्थ श्रेणी सेवा			
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नि. दल	2550-55-3200	12
2	लांगरी	2550-55-3200	17

राजस्थान आबकारी प्रवर्तन शाखा

पुलिस/अन्य सेवा			
1	प्रवर्तन निदेशक, आई.पी.एस.	24050-26000	01
2	अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक आई.पी.एस.	14300-18300	01
3	उप पुलिस अधीक्षक	8000-275-13500	25
4	लेखाधिकारी	8000-275-13500	01
5	मुख्य विधि सहायक	5500-9000	01
6	पुलिस निरीक्षक	6500-10500	05
7	पुलिस उपनिरीक्षक	5500-9000	196
8	सहायक उपनिरीक्षक	4000-6000	165
9	हैड कान्सटेबल	3200-4900	305
10	कांसटेबल	3050-4590	2240

3. अवैध एवं घातक मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु कार्यवाही :–

राज्य मे अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन एवं व्यापार पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण रखने के लिए विभाग में पृथक से निरोधक दल शाखा गठित है। राज्य भर में निरोधक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त आयुक्त ,आबकारी निरोधक दल एवम् एक उपायुक्त का पद सृजित किया हुआ है। इनके अधीन 4 आबकारी अधिकारी, 7 सहायक आबकारी अधिकारी, एवम् 75 प्रहराधिकारियों के पद स्वीकृत है एवम् निरोधक शाखा में वर्तमान में 94 निरोधक दल पार्टियॉ स्वीकृत हैं। इनमें से 75 स्थानों पर प्रहराधिकारियों के पद स्वीकृत हैं अन्य 19 स्थानों पर कार्य की उपादेयता के आधार पर 19 पैट्रोलिंग पार्टियां पदस्थापित हैं। प्रत्येक निरोधक दल पार्टी में 1 जमादार तथा 7 सिपाहियों के पद स्वीकृत हैं तथा प्रत्येक पार्टी को एक वाहन भी आवंटित किया हुआ है। प्रभावी निरोधक कार्यवाही की दृष्टि से आबकारी निरोधक दल का राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी (R.A.C.) की पद्धति पर गठन कर प्रत्येक निरोधक पार्टी को 3–3 हथियार (राईफल) आवंटित है तथा विभिन्न अधिकारियों को रिवाल्वर/ पिस्टल उपलब्ध कराई गई है। निरोधक दलों की कार्यकुशलता में वृद्धि एवं सूचनाओं के त्वरित संचार की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर वायरलैस बेस स्टेशन, मोबाईल सेट्स तथा हैंड सैट उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्ष 2005–06 मे परिवर्तित आबकारी नीति को प्रभावशाली ठंग से लागू करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विभाग में एक निदेशक प्रर्वतन (IPS) का पद सृजित किया है। इनके अधीन एक पुलिस अधीक्षक, 25 उप अधीक्षक पुलिस एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जो वर्तमान में भी कार्यरत है ।

विभाग में कार्यरत निरीक्षक एवं प्रहराधिकारियों के संयुक्त प्रयास से अवैध एवं घातक मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने हेतु आयोजित आबकारी धावों के दौरान पिछले 5 वर्षों वं इस वित्तीय वर्ष में

माह दिसम्बर, 2007 तक पंजीकृत अभियोग एवं अवैध मादक पदार्थ, वाहन तथा अन्य जब्त सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. स.	सामग्री का विवरण	2002–03	2003–04	2004–05	2005..06	2006..07	2007.08 दिसम्बर, 07 तक
1.	दर्ज अभियोगों की संख्या	7114	7046	8512	7670	8491	5959
2.	जब्त आबकारी पदार्थ (मात्रा बोतलों में)						
	(i) भा.नि.वि.म.	73517	55880	145281	278112	233929	126814
	(ii) देशी मदिरा	190138	156292	41772	157919	64316	52009
	(iii) बीयर	16824	7464	25118	74118	56830	69162
	(iv) अवैध मदिरा(बोतलो में) वाश / स्प्रिट (लिटर्स में)	38086 11260 लीटर वाश 200 लीटर स्प्रीट	37906 410911 ली. वाश 41907ली. स्प्रीट	58853 18100 ली.वाश 1300.500 लि.स्प्रिट	89861 29745 लिटर वाश 25430 लि. स्प्रिट	75300 96104 लिटर वाश 106856लि. स्प्रिट	53744 55924 33519 लिटर स्प्रिट,
	शिरा(मोलासेस) किलोग्राम में				3000 किलोग्राम मोलासेस	64290 कि.ग्रा. मोलासेस	250 कि. ग्राम मोलासस
	(v) भांग (मात्रा किग्रा.)	23.300 किलोग्राम	425.300 किलोग्राम भांग 430 भांग पाउच 2000 भांग गोलिया	27.800 किलोग्राम भांग	27.200 किलोग्राम	6499 किलोग्राम	3.200
	(vi) डोडा पोस्त (मात्रा किग्रा.)	81.500	2037.600	5108.100	22326	757	573.5
	(vii) अफीम (मात्रा किग्रा.)	950 ग्राम	9.510 किलोग्राम	200 ग्राम	28 किलोग्राम	29.930 किलोग्राम	3.410
	(viii) गांजा (मात्रा किग्रा.)	800 ग्राम	100 ग्राम	–	–	–	
	(ix)ब्राउन शुगर	12 ग्राम	–	–	–	–	
3.	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	6206	6100	7013	6434	5356	3580

4	जब्त वाहनों की संख्या	547	721	994	792	315	193
5	चरस	—	—	20ग्राम	100 ग्राम	700 ग्राम	
6	अन्य	—	1 जेनरेटर 1 देशी कट्टा रु032,92,810 /—	—		20 ग्राम हेरोइन	—

4. मद्यनिषेध/मद्य—संयम (टेम्परेन्स) कार्यक्रम :—

4.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य औषधिय उद्देश्य के अलावा नशीले पेय एवं ड्रग्स, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

4.2 राजस्थान में चरणबद्ध रूप से पूर्व में मद्यनिषेध लागू किया गया था, लेकिन अनेक कारणों से इसे दिनांक 11.8.81 से समाप्त कर दिया गया है। देश के कुछ प्रदेशों में भी मद्यनिषेध लागू किया गया था, किन्तु वहां पर भी इसका सफल कियान्वयन नहीं हो सका ।

4.3 उक्त के दृष्टिगत राज्य ने अन्ततोगत्वा मद्यसंयम (टेम्परेन्स) कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया। मद्यसंयम कार्यक्रम से अभिप्राय ऐसी नीतियों के निर्धारण एवं ऐसे उपायों के क्रियान्वयन से है जिनके परिणामस्वरूप मदिरा के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता हो तथा जन साधारण मदिरा का संयत एवं सीमित उपभोग करे ताकि इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। इस संबंध में राज्य में निम्न उपाय किये गये हैं :—

(क) मदिरा के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों, प्रकाशनों तथा समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने हेतु राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1956 के नियम 77 (बी) एवं (सी) में आवश्यक प्रावधान किया हुआ हैं ताकि प्रचार सामग्री के प्रभाव से साधारण नागरिक मदिरापान की ओर उन्मुख एवं आकर्षित नहीं हो।

(ख) राजस्थान में निर्मित होने वाली देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की प्रत्येक बोतल/पात्र पर ''मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'' लिखना अनिवार्य किया हुआ है।

(ग) अधिक मद्यपान एवं मदिरा संग्रहण की प्रवृति से जनता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति द्वारा मदिरा की अधिकतम मात्रा रखने हेतु निम्न सीमाएं निर्धारित की गई हैं :—
— देशी मदिरा— 3 लीटर अर्थात् 4 बोतल (प्रति बोतल 750 एम.एल.)
— भा.नि.वि.म.— 6 लीटर अर्थात् 8 बोतल (प्रति बोतल 750 एम.एल.)
— बीयर 12 बोतल (प्रति बोतल 650 एम.एल.)

(घ) वर्ष 2006—07 सें विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों के दिन मदिरा के बेचान पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न दिवसों को शुष्क दिवस (Dry days) घोषित किया गया हैः—
1. स्वतंत्रता दिवस (15,अगस्त)
2. गणतंत्र दिवस (26,जनवरी)
3. गांधी जयंती (2,अक्टूबर)
4. महावीर जयंती (तिथि के अनुसार)

(ड़) मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 में ऐसे प्रतिबंधात्मक प्रावधान किये गये हैं ताकि इन दुकानों की अवस्थिति अनुमोदित पूजा स्थल, शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या विद्यालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, श्रमिक बस्ती, हरिजन बस्ती एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गों से पर्याप्त दूरी पर

रहे। दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करते समय नियमों तथा दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही अत्यावश्यक होने पर दुकानों की अवस्थिति के सम्बन्ध में शिथिलता दी जाती है।

5. आबकारी राजस्व :–

5.1 एक ओर जहां वर्ष 71–72 में वार्षिक आबकारी राजस्व मात्र रू0 10 करोड़ था, वही पांच वर्ष की अन्तरालीय अवधि में 76–77 में रू0 23 करोड़, वर्ष 81–82 में रू0 34 करोड़, वर्ष 86–87 में रू0 101 करोड़, वर्ष 91–92 में रू0 356 करोड़, वर्ष 96–97 में रूपये 785 करोड़, वर्ष 2001–02 में रू0 1110.27 करोड, वर्ष 2002–03 में रूपये 1142.34 करोड़ , वर्ष 2003–04 में 1163.15 करोड ,वर्ष 2004–05 मे 1276.07 करोड,वर्ष 2005–2006 में 1521.80 करोड तथा वर्ष 2006–07 मे 1591.09 करोड़ रहा है। इस प्रकार आबकारी राजस्व समग्र राजकीय कर राजस्व का प्रमुख घटक बना हुआ है। विगत 14 वर्षों अर्थात् 93–94 के वार्षिक आबकारी राजस्व रू0 461 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 245.14 प्रतिशत की वृद्धि होकर आबकारी राजस्व रू0 1591.09 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2007 तक रू0 1215.03 करोड. (प्रोविजनल) की राजस्व आय प्राप्त हो चुकी है।

5.2 विगत 14 वर्षों एवं इस वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2007 तक आबकारी राजस्व की स्थिति निम्न प्रकार रही है :– **(राशि करोड़ रू0 में)**

क्र.सं.	वर्ष	वार्षिक राजस्व	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
1.	1993-1994	461	-
2.	1994-1995	558	21
3.	1995-1996	705	26
4.	1996-1997	785	11
5.	1997-1998	923	18
6.	1998-1999	990	7.26
7.	1999-2000	961	(-) 2.93
8.	2000-2001	1118	16.34
9.	2001-2002	1110.27	(-) 0.69
10.	2002-2003	1142.34	2.89
11.	2003-2004	1163.15	1.82
12.	2004-2005	1276.07	9.71
13.	2005-2006	1521.80	19.26
14.	2006-2007	1591.09	4.55
15.	2007-08 दिसम्बर 07 तक(प्रोविजनल)	1215.03	

6. आबकारी राजस्व संग्रहण पर प्रशासनिक व्यय :–

आबकारी विभाग द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में प्रशासनिक व्यय 2 प्रतिशत से भी कम है। विगत 14 वर्षों में प्रशासनिक व्यय का अर्जित राजस्व पर प्रतिशत निम्नानुसार है :–

क्र.सं	वर्ष	शुद्ध वार्षिक राजस्व	प्रशासनिक व्यय	आय पर व्यय का

		(करोड़ रू0 में)	(करोड़ रू0 में)	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	1993—94	410	8.48	2.07
2.	1994—95	479	9.29	1.94
3.	1995—96	633	10.53	1.66
4.	1996—97	732	12.49	1.71
5.	1997—98	837	13.29	1.59
6.	1998—99	900	17.89	1.99
7.	1999—2000	833	17.55	2.10
8.	2000—01	1009	17.90	1.77
9.	2001—02	1014.68	19.13	1.88
10	2002—2003	1045.79	18.60	1.78
11	2003—2004	1065.03	19.82	1.86
12	2004—2005	1269.07	22..39	1.76
13	2005—2006	1521.80	34.18	2.25
14	2006—07	1591.09	42.52	2.67

शुद्ध वार्षिक राजस्व = कुल वार्षिक राजस्व—क्रियात्मक (Functional Activities) क्रियाकलापों यथा लिकर व अफीम के क्रय के लिये भुगतान की गयी राशि ।

7. आबकारी नीति 2007 —2008 :—

7.1 वर्ष 2007—2008 के लिए निर्धारित आबकारी नीति मुख्य रूप से निम्न उदेश्यों से प्रेरित रही है:—

7.1.1 मदिरा व्यवसाय पर कुछ व्यक्तियो के एकाधिकार को समाप्त करना ।

7.1.2 अधिक व्यक्तियो को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना।

7.1.3 ग्राहको को मांग अनुसार ब्राण्ड की उपलब्धता कराना

7.2 अन्य प्रमुख बिन्दु:

7.2.1 मदिरा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वैध भा.नि.वि.म. /बीयर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005—2006 की आबकारी नीति के अन्तर्गत ''राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' का गठन किया गया था एवम् मदिरा की शुद्धता की सन्तुष्टि हेतु मदिरा के पात्र पर विशेष प्रकार के होलोग्राम लगाये जाकर पात्र पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया गया था । इसे और आगे बढाते हुए वर्ष 2006—2007 में प्राईवेट थोक अनुज्ञापत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ।अब सीधे ही माल आर.एसबी.सी.एल. द्वारा निर्माता इकाई से प्राप्त कर जिला मुख्यालय पर स्थित आर.एस.बी.सी.एल. डिपोज पर पहुंचाया जाता है। यही व्यवस्था वर्ष 2007—08 मे जारी है।

7.2.2 निजी क्षेत्र में स्थित डिस्टलरीज को भी देशी मदिरा के निमार्ण की अनुमति दी गई है, जिसका विक्रय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से ही करने का प्रावधान किया गया है।

7.2.3 बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष अर्थात 2007—08 रखी गई है।

7.2.4 देशी मदिरा दुकानों का बन्दोबस्त विशेषाधिकार प्रणाली के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित कर किया गया एवम् भारत निर्मित विदेशी मदिरा रिटेल अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया गया ।

7.2.5 देशी मदिरा दुकानों का मौटे तौर पर ग्रामीण क्षैत्रो मे ग्राम पंचायतवार,एवं नगरीय क्षैत्रो मे नगर पालिका वार्डवार समुहों में गठन किया गया एवं भांग–डोडा पोस्त समूहों की संख्या यथावत 39 रखी गई ।

7.2.6 देशी मदिरा दुकानों की संख्या 7000 से घटाकर 6660 तथा भा. नि. वि म. दुकानो की संख्या 2000 से घटाकर 1800 की गई ।

7.2.7 देशी मदिरा की वार्षिक राशि की 12.5 प्रतिशत राशि बेसिक लाईसेंस फीस के रूप में वसुल करने का

प्रावधान यथावत रखा गया।

7.2.8 देशी मदिरा की कुल मांग में से न्यूनतम 40 प्रतिशत तक आपूर्ति राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा उत्पादित मदिरा से करने की व्यवस्था की गई ।

7.2.9 डोडा पोस्त का न्यूनतम क्रय मूल्य रुपये 15/– प्रति किलोग्रम रखा गया ।

7.3 आबकारी कर ढांचे को सुसंगत एवं विवेकीकृत किया जाना :–

आबकारी कर ढांचे के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

7.3.1 भा.नि.वि.म. पर आबकारी शुल्क की पूर्व 6 स्लेब (रू170/– से 500/– प्रति प्रूफ लीटर)के अलावा रू 8000/– से 10000/– प्रति पेटी मूल्य पर 43% तथा उससे अधिक मूल्य की भा. नि.वि.म. पर 50% एडवेलोरम की दो नई स्लेब जोडी गई ।

7.3.2 स्ट्रांग व माइल्ड बीयर पर आबकारी शुल्क की दर 140%एडवेलोरम यथावत है।

7.3.3 देशी मदिरा की समूहवार एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली लागू की गई एवम् दिनांक 01.04.06 से आबकारी शुल्क 116.67/– प्रति एल.पी.लिटर यथावत है।

7.3.4 भा.नि.वि.म. पर बोटलिंग फीस की दर स्वंय के निर्माण व फ्रैन्चाईज व्यवस्था में निर्माण दोनो के लिये रुपये 2.40/– एवमं बीयर की स्वंय की ब्राण्ड पर 1.50 व फ्रैन्चाईज 2.30 प्रति बल्क लिटर पूर्व की भांति यथावत है ।

7.3.5 देशी मदिरा पर बोटलिंग फीस की दर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स एवं निजी क्षेत्र के लिये रुपये 2.00 प्रति बल्क लीटर यथावत रखी गई है।

7.3.6 आयातित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क के समतुल्य राशि वैण्ड फीस के रूप मे आरोपित की जा कर उस पर वेट समाप्त किया गया है ।

8. उत्पादन एवं विपणन इकाईयॉ :–

राज्य में देशी मदिरा/भा.नि.वि.म./बीयर/डोडा पोस्त एवं भांग से संबंधित निर्माण एवं विपणन इकाईयॉ निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

8.1 निर्माण इकाईयॉ :–

(क)	डिस्टलरी	10
(ख)	ब्रेवरी	6

(ग)	देशी मदिरा निर्माण केन्द्र	22
(घ)	भा.नि.वि.म. बोटलिंग प्लांट	12+ 2 देशी मदिरा फ्रैन्चाइज बोटलिंग

8.2 विपणन इकाईयॉ :–

(क)	भा.नि.वि.म./बीयर बंधित भण्डागार	1
(ख)	भा.नि.वि.म./बीयर थोक	40
(ग)	देशी मदिरा खुदरा दुकान	6670
(घ)	भा.नि.वि.म./बीयर खुदरा दुकानें	1800
(ड़)	डोडा पोस्त थोक दुकानें	81
(च)	डोडा पोस्त/खुदरा दुकानें	252
(छ)	भांग खुदरा दुकानें	787

8.3 विभिन्न बार अनुज्ञापत्र :– (31.12.2007 तक)

(क)	होटल बार दो लग्जरी ट्रेनो सहित	283
(ख)	क्लब बार	27
(ग)	हेरिटेज होटल बार	51
(घ)	रेस्टोरेन्ट बार	33
	योग	394

9. विभिन्न आबकारी पदार्थों का उठाव/ निर्गम :–

विगत पांच वर्षो तथा इस वर्ष माह दिसम्बर, 2007 तक विभिन्न आबकारी पदार्थों का उठाव/ निर्गम निम्नानुसार रहा है :–

(मात्रा लाख बल्क लीटर्स में)

वर्ष	देशी मदिरा	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	बीयर
2002–03	906.03	448.37	414.60
2003–04	982.92	547.73	442.68
2004–05	747.88	513.01	438.25
2005–06	733.40	234.06	497.88
2006–2007	680.23	289.44	644.10
2007–08 माह दिसम्बर 07 तक	542.03	241.08	646.74

10 न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :–

10.1 आबकारी मुख्यालय पर संयुक्त विधि परामर्शी के नियंत्रण में एक विधि प्रकोष्ठ कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ द्वारा जहां विधिक बिन्दुओं पर राय दी जाती है, वहीं विभाग के विरूद्ध दायर अथवा विभाग द्वारा दायर किये जाने वाले प्रकरणों में अग्रेतर कार्यवाही की जाती है।

10.2 दिनांक 31.12.2007 को लंबित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	प्रकरणों का विवरण	न्यायालय						
		उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय जयपुर जोधपुर में विचाराधीन		सिविल सेवा अधिकरण		अधीनस्थ न्यायालय	योग
			जयपुर	जोधपुर	जयपुर	जोधपुर		
1.	विचाराधीन	13	250	300	19	5	536	1123
2.	जवाब पेश करना शेष	5	5	6	–	–	–	16
3.	निर्णय की क्रियान्विति	–	2	3	–	–	–	5
4.	अवमानना प्रकरण	–	2	–	–	1	2	5

हाल ही में जारी न्याय की विभाग की अधिकृत वेबसाईट LITES में विभागीय न्यायिक प्रकरणों से सम्बन्धित सूचनाओं की डाटा एन्ट्री कर लगातार अपडेट एवं वेलिडेट किया जाता है। तदनुसार उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों को अपडेट करने के लिये जिला कार्यालय अभियोजन जयपुर व जोधपुर में दो अपडेशन सेन्टर भी स्थापित किये गये हैं। सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों की निगरानी (Monitoring) हेतु मुख्यालय में वरिष्ठ विधि अधिकारी के नियन्त्रण में मुख्य अपडेशन सेन्टर स्थापित किया गया है।

11. ई– गवर्नेस :–

आबकारी विभाग में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य राज्य सरकार की सूचना प्रोद्योगिकी नीति के तहत वृहद स्तर पर मई 2002 से प्रारम्भ किया गया। इसके तहत उपलब्ध हार्डवेयर के बेहतर उपयोग एवं आंकडो के सुचारू संकलन, सूचनाओं के आदान –प्रदान एवं विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा परमिट जारी करने आदि कार्य को कम्प्यूटर द्वारा ही किये जाने की आवश्यकता के मद्देनजर किराया क्रय पद्धति पर एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर www.rajexcise.org का निमार्ण करवाया गया एवं आवश्यक हार्डवेयर प्राप्त किया गया । समस्त जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर सिस्टम मय इन्टरनेट कनेक्टिविटी के उपलब्ध करवाये गये । अक्टूबर 2002 से समस्त जिला कार्यालयों द्वारा उक्त साफ्टवेयर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। । वर्तमान में समस्त जिला कार्यालयों से भॉग डोडा पोस्त, विदेशी मदिरा, आर. एस.बी.सी.एल. डिपो एवं सी.एस.डी. के डिपो तथा रिटेल शॉप हेतु परमिटों को ऑन लाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किया जा रहा है । विभागीय सूचनाओं पत्रादि के प्रेषण में ई–मेल का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है । इससे मुख्यालय एवं अन्य सम्भागीय कार्यलयों को राजस्व सूचनाएं, संकलित आकंडे आदि त्वरित एवं सही प्रारूप में प्राप्त हो रहे हैं । राजस्व सम्बन्धित कार्यो के अतिरिक्त विभाग के संस्थापन, विधिक एवं निरोधक दल से सम्बन्धित कार्यो आदि में भी कम्प्यूटर के उपयोग में विस्तार किया जा रहा है । जिससें अधिकारियों /कर्मचारियों की संस्थापन, विभागीय जॉच से सम्बन्धित समस्त प्रकार की

सूचनाओं का बेहतर संधारण/उपयोग किया जा सकेगा। आबकारी विभाग के संगठन एवम् क्रियाकलापों की जानकारी जन साधारण को विभागीय वेब साईट www.rajexcise.org पर उपलब्ध है, जिसको समय–समय पर अपडेट किया जाता है।

admn-report 07-08